बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक: 6/प्रा0आ0–103/13–   पटना, दिनांक:–

सेवा में,
महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषय: केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत राज्य के सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित 170 अदद् सौर ऊर्जा से संचालित मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के पाँच वर्षों तक परिचालन एवं रख–रखाव हेतु रू0 1358.2575 लाख (तेरह करोड़ अनठावन लाख पचीस हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश: केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत राज्य के सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित 170 अदद् सौर ऊर्जा से संचालित मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के पाँच वर्षों तक परिचालन एवं रख–रखाव हेतु रू0 1358.2575 लाख (तेरह करोड़ अनठावन लाख पचीस हजार सात सौ पचास रूपये मात्र) की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना का विवरण **परिशिष्ट– 1** पर संलग्न है।

2. इस योजना की पूरी राशि का वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जाय।

3. योजनाओं की लागत राशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के **NRDWP, Programme Fund** के बैंक बचत खाता संख्या 31458965548 में उपलब्ध कराई गई राशि से योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विमुक्त की जाएगी।

4. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

5. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

7. योजना एवं गैर –योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007– 96 वि0 (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में दिनांक– 31.01.2014 को हुई विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में तथा विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0– यथोपरि।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 1538 पटना, दिनांक– 4.5.14

प्रतिलिपि:–

1. अनु0 सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/कल्याण विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु0 सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ यॉत्रिक/रूपांकन/ विशेष पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता (मो0)/ कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0)/उप निदेशक, अन्वेषण/ मूल्यांकन/सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/निदेशक, पी0एम0यू0/ प्रशाखा–4 एवं 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु0 सहित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल /संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0– यथोपरि।

AA 1/8/14

(अंशुली आर्या)

प्रधान सचिव

Annexure - I

Cost breakup for O&M of one scheme for one year		
Sl. No.	**Particulars**	**Rates (Rs. in Lakhs)**
1.	**Tube well** Maintenance of 150 mmX100 mm high yield tube wells.	**0.040**
2.	**Building** Providing repair & maintenance and painting in every two years of the building, boundary walls, gates and other civil structures.	**0.140**
3.	**Plumbing works** Providing repair /replacement of defective / damaged taps / pipe lines on need basis. Regular cleaning of 1nos. 5000 liters PVC tanks.	**0.050**
4.	**Internal lighting system & Solar campus light** Repair/ maintenance/ replacement of lighting fixtures, solar panels / battery as per requirement.	**0.270**
5.	**Solar Pump** Providing operation, repair and maintenance services of submersible pump, keeping in stock spare parts of the pump for faster repair of defective pumps including cost of replacement of spare parts of pump.	**0.270**
6.	**Solar Panels** Providing regular maintenance of solar panels for keeping the connections clean of carbon deposits.	**0.080**
7.	**Distribution Network System** Providing maintenance of distribution pipe line comprising 1000 meters GI pipes varying from 20mm to 65mm with 8 nos. of stand posts.	**0.040**
8.	**Caretaker at site** Providing of caretaker/operator at each site to ensure proper safety/ security and operation of the systems installed.	**0.600**
9.	**Water testing and monitoring** Regular testing and monitoring of water supplied by the scheme on fortnightly basis along with a log book for daily recording of the operation and maintenance and reporting the same to concerned executive engineers on monthly basis.	**0.100**
10.	**Total annual cost for O & M per site for mini water supply schemes without treatment unit.**	**1.59**
11.	**Grand Total of Annual Cost for O&M of 170 Nos. of Mini Water Supply Schemes without treatment unit.**	**270.30**

So, total O&M cost for 170 Nos. of Schemes for 5 years = *Rs. 1351.50 Lakhs*

Add Contingency @ 0.5% = *Rs.6.7575 Lakhs*

Grand Total = Rs. 1358.2575 Lakhs

(Rs. Thirteen Crores Fifty Eight Lakh Twenty Five Thousand Seven Hundred Fifty only)

Technical approval accorded for Rs. 1358.2575 lakhs only

11/12/13

(Birendra Kumar)
Chief Engineer (Urban)